भारत पाँच रुपये COURT FEE Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(17)

समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी प्रकरण क............/2017

बद्रीप्रसाद आ0 शिवचरण आयु लगभग 55 वर्ष

निवासी–ग्राम डोबरा, तहसील हुजूर जिला भोपाल ---- आवेदक

विरूद्ध

PBR/Appeal/भोपाल/भू.रा.स./2017/2407

1 अशोक कुमार साहू आ0 श्री प्रेमचंद साहू, आयु वयस्क

निवासी–म.नं. 34, गल्ला बाजार, भोपाल म.प्र.

2 म.प्र. शासन

द्वारा अपर तहसीलदार वृत्त–1,

तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. ---- अनावेदकगण

निगरानी पत्र अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त–1, तहसील हुजूर जिला भोपाल के राजस्व निरीक्षक मण्डल–1, ईंटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा धारा 250 प्रकरण कमांक 19/अ–70/2015–16 पक्षकार अशोक कुमार साहू विरूद्व बद्रीप्रसाद में पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारो पर श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/2407 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.8.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर तहसीलदार वृत्त–1 तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–2–17 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथमतः आवेदक को चाहिये कि वह सीमांकन संबंधी प्रकरण/आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत करें । स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–2–17 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर अनावेदक के प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण नियत करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	